न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 113/2018

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड, पता— साधना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570 पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई। आफिस पता — महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौक, वर्ली, मुम्बई। शाखा कार्यालय पता— 46, 47 श्रीनाथ टॉवर, प्रथम तल, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विजेन्द्र जागा पुत्र श्री इन्दरलाल जागा।
2. श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री रामजीलाल जागा।
3. श्री रमेश चन्द जागा पुत्र श्री इन्दरलाल जागा।
   समस्त निवासी —33, जागा ढाणी, टोडा ठेकला, पानी की टंकी के पास, तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. श्री रामसिंह जागा पुत्र श्री सरदार जागा निवासी—24 ढाणी जागा बस्ती, टोडा ठेकला, सरकारी स्कूल के पास तहसील लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 10.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री विजेन्द्र जागा पुत्र श्री इन्दरलाल जागा निवासी—33 जागा ढाणी टोडा ठेकला, पानी की टंकी के पास तहसील लालसोट व अन्य को 1,50,000/—(रूपये एक लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आबादी पट्टा सं0 4570 मिसल सं0 2010—11, बुक संख्या— कैम्प 0270 दिनांक 16.12.2010 क्षेत्रफल 150.00 वर्गगज ग्राम टोडा ठेकला, ग्राम पंचायत टोडा ठेकला पंचायत समिति लालसोट जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो कि श्री विजेन्द्र जागा एवं श्री रमेश जागा पुत्र श्री इन्दरलाल जागा एवं श्रीमती शांति देवी पत्नि श्री रामजीलाल जागा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 10 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official